न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–300 / 2023 दायर दिनांक: 22.12.2023

GCMS NO:- 2023/470 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. भंवरलाल आ0 रामनाथ जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।
2. हेमराज आ0 रामनाथ जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण

वनाम

1. कार्यालय ग्राम पंचायत बामनगांव जर्ये सरपंच महोदय, ग्रा0प0 बामनगांव।
2. कार्यालय ग्राम पंचायत बामनगांव जर्ये सचिव महोदय, ग्रा0प0 बामनगांव।
3. भूरवागी जर्ये तहसीलदार साहव नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 27.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम वामनगांव मे खसरा नम्बर 2506 रकवा 0.4126 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 2508 रकवा 0.0485 हैक्टयर स्थित है जिस पर प्रार्थीगण वहैसियत खातेदार काविज कृषक चले आ रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर जाने का एकमात्र अर्वाचिन (आदृ) रास्ता वामनगांव से भोमपुरा जाने वाले राजस्व रिकॉर्ड का रास्ता खसरा नम्बर 2532 से पश्चिमी ओर फटकर खसरा नम्बर 2508 मे जाता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता 30 फीट चौडा है जिस पर होकर ही प्रार्थीगण पीढीयों से आवागमन कर रहे है एवं कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरणों व जानवरों को लाते ले जाते है। इसके अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थीगण के खेत मे पहुंचने का नही है। प्रार्थीगण के खेत मे दक्षिणी ओर खाल है। खसरा नम्बर 2530 सिवायचक भूमि है जिसमे राजपूत समाज की छतरी वनी हुई है। प्रार्थीगण के खेत मे उत्तर व पश्चिम मे नाला व अन्य खातेदारोंकी भूमियां है जिधर होकर कभी भी रास्ता नही रहा है। यह कि खसरा नम्बर 2531 वर्तमान मे आवादी विस्तार गै0मु0 आवादी मे आरक्षित है जो ग्राम पंचायत वामनगांव के अधीन है। यह कि गत सप्ताह से प्रत्यार्थीगण विवादित रास्ते को नष्ट भ्रष्ट कर निर्माण कर वैचान करने पर आमादा है और प्रार्थीगण के रास्ते को अवरूद्व करना चाहते है जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2508 पर पहुंचने के लिए जितनी भूमि भूमि आती है, के लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2508 पर जाने के लिए परिशिष्ट अ मे अंकित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी वहस को ध्यानपूर्वक सूना। वहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड जमावन्दी व रास्ते के सम्वंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम बामनगांव स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2506 व 2508 की मेर मिली हुई है तथा खसरा नम्बर 2506 की पश्चिमी दिशा वाली मेड के लगते हुए खसरा नम्बर 2478 गै.मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है एवं यह रास्ता वर्तमान मे बहाल व पूर्णतः चालू है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2506 व 2508 पर पहुंचने के लिए पहले से ही रास्ता दर्ज होकर चालू होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ